

→ ED (CP & CE)
 Dr. Jagbir Singh,
 CPIO
 जनक पाल
 १५/०९/१८

सेवा में,

राज्य सूचना अधिकारी कम
 महाप्रबंधक (पी.ई.एस.एम.),
 एवं अधिकृत सी.पी.आई.ओ. नं ३० क्षे.-१
 नई दिल्ली ।

विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने वारे

श्रीमान जी,

निवेदन है कि आवेदक निम्न सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाहता है। इसके लिए निर्धारित 50/- रुपये फीस भारतीय पोस्टल आर्डर / रसीद नं ९२६५८५७५२ दिनांक इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त मांगी गई सूचना देने में कागजों आदि पर विभाग का कोई अन्य खर्च लगता है तो नियम के अनुसार आवेदनक उक्त खर्च देने का पाबन्द रहेगा।

1.	आवेदक का नाम व पता		वेदप्रकाश पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी गांव उखलचना (कोट) तहो बादली जिला झज्जर (हरिं)। मो० नं०
2.	सूचना जिस माध्यम से चाहिए		सभी ममलों की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थी को 30 दिन के अन्दर- अन्दर दी जाये ।
3.	सूचना का माध्यम		डाक द्वारा
4.	सूचना जो चाहिए	:-	
	1.	यह कि भदानी-माछरौली 400 के.वी. लाईन का पोल नं० 25 और उसके स्पोटिंग टावरी का मुआवजा विभाग द्वारा किसके	

नाम से विभाग द्वारा जारी किया गया ? उसका नाम व पता बताया जाये ?

2. यह कि जिसके नाम से मुआवजा जारी किया गया, वह मुआवजा राशि कितनी थी, वह भी बताइ जाये ?
3. यह कि उपरोक्त सभी सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सम्बन्धित विभाग की सम्बन्धित रिकार्ड से रिकार्ड की सत्यापित कोपी दी जावे।

उपरोक्त बिन्दु में मांगी गई जानकारी निर्धारित समय अवधि के अन्दर प्रार्थी के पते पर 30 दिन के अन्दर- अन्दर उपलब्ध करवाने का कष्ट करे । यह मांगी गई सूचना या इसका कोई भाग आपके कार्यालय से सम्बन्धित ना हो तो इसे सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) / 5(4) के तहत सम्बन्धित कार्यालय को भेजते हुए प्रार्थी को भी सूचित करें।

प्रार्थी

वेदप्रकाश पुत्र श्री धर्म सिंह,
निवासी गांव उखलचना (कोट) तह0
बादली जिला झज्जर (हरिं0)।
मो0 नं0

झज्जर/ 5-12-2018